प्रेषक,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः 1854/2172/नान फार्म/पीडीएस/2021-22 लखनऊः दिनॉक, 02 सितम्बर अगस्त, 2021

विषय :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित दर की दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूह को दिए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-448/38-6-2020-14(नरेगा)/2020 दिनांक 26.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं (छाया प्रति संलग्न)।

शासन के पत्र के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 2386/1863 दिनांक 4.11.2020 द्वारा प्रेषित निर्देशों के कम में जनपदों से दिनांक- 07.07.2021 के पश्चात् गठित समूहों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मिशन में अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के संबंध में जनपद स्तर से प्रेषित किये जा रहे प्रस्तावों में उचित दर की दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 07.07.2021 के पश्चात् गठित किये गये स्वयं सहायता समूह में उपरोक्त शासनादेश के निर्देशों के कम में निम्न को भी सम्मिलित किया जाये:-

1. दिनांक 07.07.2021 के पश्चात् गठित किये गये समूह के गठन में शासन के आदेश संख्या 448/38-6-2020-14(नरेगा)/2020 दिनांक 26.10.2020 के निर्देशों का पालन किया गया है।
2. खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-6/2019/1358/29-6-2019-162सा0 /2001 दिनांक 5.8.2019 में उल्लिखित बिन्दु-IV के कम संख्या :-

   9. अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो और उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अथवा आपराधिक दण्ड संहिता के अंतर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्यवाही न हुई हो।

   10. ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के पक्ष में उचित दर की दुकान के आवंटन का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा। परिवार की परिभाषा, जैसा कि उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (वितरण के विनियमन का नियंत्रण) आदेश 2016 में दी गई है, निम्नानुसार होगी:-

   - परिवार का मुखिया,
   - पति/पत्नी विधिक रूप से अपनाये गये दत्तक सन्तान सहित।
   - सन्तान जो परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित हो।
   - अविवाहित, विधिक रूप से पृथक और विधवा बेटी, और
   - परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित माता/पिता।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उचित दर की दुकान के आवंटन हेतु प्रेषित किये जा रहे प्रस्तावों में उपरोक्त बिन्दुओं को भी सम्मिलित कर प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

पत्रांकः / /नान फार्म आ0/2021 लखनऊः दिनॉक, उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त उपायुक्त स्वतः रोजगार, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
3. गार्ड फाईल।

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।